

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला -अलवर


किस्म मुकदमा हुकूम अहकाम बनाम राजेश
212RTA नं 2134/2018 सन्

तारीख हुकूम	हुकूम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकूम की तामील में जारी हुए
-------------	-----------------------------------	---

6-4-18


आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थीगण पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तिथि 15.06.2018 तक जर्जे एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी ख0 नं0 873 रकबा 1. 26 हैक्ट0 वाके ग्राम जहानुपर तहसील रामगढ़ जिला अलवर से बेदखल नही करें। मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। अप्रार्थीगण को जर्जे रजि0 ए0डी0 तलबी से तलब कर दिनांक 15.06.2018 को पेश हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 रामगढ़ (अलवर) राज

14-6-18

पत्राचार के लिए उक्त पत्र को
 ग्राहक माध्यम से पेश प्रार्थी हुकूम
 कार्य के निरंतरण हो चुका है।
 इसके अलावा उक्त पत्र को उक्त पत्र
 प्रेषित किया जा रहा है।
 उक्त पत्र को निरंतरण किया जा रहा
 है। पत्राचार के लिए उक्त पत्र को
 तलब कर दिया है।


 14.6.18
 RM